न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –25/2025 (अपील)
जीरीएमएस नं0 2025/24

कैलाश पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी गणेशपुरा कलां तहसील चेचट जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार चेचट जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार चेचट मि0नं0 269/2024 निर्णय दिनांक 27.11.2024 उनवान सरकार बनाम कैलाश

उपरिथिति

1. श्री रमेश राठौड़ अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :–28.04.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चेचट ने ग्राम गुमानपुरा की भूमि खसरा नम्बर 208 की 0.16 हे0 किस्म बंजड बीड में संवत 2081 में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर फसल सोया बोने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 269/2024 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से वेदखली एवं 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित के आदेश किया जाकर 50/–रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 27.11.2024 से अपना निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 23.01.2025 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार को सुना गया ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है क्योंकि अदालत मातहत ने आस पास के व्यक्तियों के बयान लेखवद्व किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट पश्चातवर्ती अतिकमी नहीं है, ना ही पश्चातवर्ती का उन्हें नोटिस मिला है । अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया है मात्र कयास के अधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में हुक्म जेर अपील पारित किया है । जो खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है तथा अपीलान्ट का भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है व अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है । हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । जिसका सर्वप्रथम ज्ञान पुलिस द्वारा अपीलांट को गिरफ्तार करने गांव में आने पर हुआ । इस पर दिनांक 15.1.2025 को नकल निर्णय प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत निर्णय दिनांक 27.11.2024 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर संवत् 2080 में भी अतिक्रमण किया जाने से नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो उचित है । अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2024 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 23.01.2025 को पेश की गई है। जो मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 15.01.2025 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने आने पर होना बताया है । प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि कैलाश पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी गणेशपुरा द्वारा संवत 2081 में ग्राम गुमानपुरा की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 208 की रकबा 0.16 हे0 किस्म बंजड बीड़ पर अतिक्रमण कर फसल सोया बोया हुआ है तथा इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई करते हुए उसे बेदखली के आदेश करते हुए 50/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

7. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तथा कब्जा हटाने की पुष्टि तहसीलदार चेचट स्वयं कर ले तो इस स्थिति में एक माह (30 दिवस)के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। अपीलांट नियत अवधि में अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा मौके पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमी अपीलांट को नियमानुसार सिविल कारावास की सजा भुगतायेगा ।

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा